Welfare Scheme for Advocates

3321. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) what are the welfare schemes being implemented by different State Bar Councils and All India Bar Council for the benefit of Advocates;

(b) how are such schemes being funded; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) Apart from granting of stipend @ Rs. 500/- per month to 20 junior Advocates yearly during the first five years from the date of their enrolment, the Bar Council of India have scheme for financial assistance to State Bar Councils and Model Schemes for Welfare of Advocates and have made various Advocates Welfare Rules. Details of the Schemes and Welfare Rules are contained in Annexure I, II and III respectively [See appendix 180, annexure No. 67] Besides a list of Welfare Schemes Act in force in various State Bar Councils is given as Annexure-IV. (See appendix 180, annexure No. 67)

(b) and (c) The scheme for financial assistance to State Bar Councils shall be funded from "Bar Council of India Advocates Welfare Fund". The soruce of funds for the schemes under the Welfare Rules is the fee paid by the Advocates borne on the roll of the respective State Bar Councils. For schemes under Advocates Welfare Fund Acts of various States, the source of income is as provided in the Act itself.

विधि आयोग की सिफारिशें

3322. श्री राम जेठमलानी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में न्याय दिये जाने की वर्तमान धीमी गति के कारण निर्णय हेतु लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत के एक आयोग ने हाल ही में मामलों के निपटारे में गति लाने के लिये आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ आवश्यक संशोधन करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो वे सिफारिशें कौन-कौन सी हैं और सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामाकांत डी० खलप): (क) और (ख) यद्यपि, विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या में वृद्धि हो रही है फिर भी उच्चतम न्यायालय में इनकी संख्या दिसम्बर, 1990 में 107,776 थी जो दिसम्बर, 1996 में घटकर 23246 हो गई है। कुछ न्यायालयों में भी मामलों के निपटान की दर नए मामलों के संस्थित किये जाने से अच्छी हुई है। सरकार ने विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और उनकी सिफारिशों के आधार पर प्रक्रिया को सरल बनाने तथा मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिये अनेक प्रयास किये हैं। विधि मंत्रियों, मुख्य न्यायमूर्तियों और विधि के प्रशासन से संबंद्ध अन्य व्यक्तियों के सम्मेलन आवधिक रूप से आयोजित किये जाते हैं और ऐसे विचार विनिमय तथा परामर्शों से उद्भूत सिफारिशों और निष्कर्षों को कार्यान्वित किया जाता है तथा उनकी प्रगति निकटतः मानीटर की जाती है।

(ग) और (घ) विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में मामलों के शीघ्र निपटान के संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं जैसे अन्वेषणों के लिये एक पृथक और अनन्य काडर स्थापित करना, साक्षियों की समय से हाजिरी सुनिश्चित करना, एक पृथक अभियोजन निदेशालय स्थापित करना, अभिरक्षान्तर्गत अपराधों के संबंध में एक नई उपधारा 41क जोड़ना, विचारणाधीन कैदियों का संरक्षण, सभी दांडिक न्यायालयों को जमानत देने के लिये सशक्त करना, लघुवादों के निपटान के लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 और धारा 18 के अधीन विशेष मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर, न्यायालयों की संख्या का आवधिक पुनर्विलोकन, साक्ष्य अभिलेखन के विचारण प्रक्रिया आदि। रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को उनकी टीका-टिप्पणी विचार जाने के लिये परिचालित कर दी है।